PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED 27.3.1998

F.No.142/23/97-TPL
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NEW DELHI, the 27th March, 1998

S.O. (E) In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes, hereby makes the following rule :-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Fifth) Amendment Rules, 1998.
(2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 1998.

2. In the Income-tax rules, 1962,

(A) in rule 6,-

(a) after sub-rule (1A), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"(1B) For the purposes of sub-section (2AB) of section 35, the prescribed authority shall be the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.";

(b) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"(4) The application required to be furnished by a company under sub-section (2AB) of section 35 shall be in Form No. 3CK." ;

(c) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"(5A) The prescribed authority shall, if he is satisfied that the conditions provided in this rule and in sub-section (2AB) of section 35 of the Act are fulfilled, pass an order in writing in form No.3CM :

Provided that a reasonable opportunity of being heard shall be granted to the company before rejecting an application :

Provided further that an order under this rule shall be passed within two months of the receipt of application under sub-rule (4).

(d) after sub-rule (7), the following sub-rule shall be inserted namely :-

(a) The facility should not relate purely to market research, sales promotion, quality control, testing, commercial production, style changes, routine data collection or activities of a like nature;

(b) The prescribed authority shall submit its report in relation to the approval of in-house Research and Development facility in Form No. 3CL to the Director General (Income Tax Exemptions) within sixty days of its granting approval;.

(c) The company shall maintain a separate account for each approved facility ; which shall be audited annually and a copy thereof shall be furnished to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research by 31st day of October of each succeeding year;
Explanation:-For the purposes of this sub-rule the expression "audited" means the audit of accounts by an accountant, as defined in the *Explanation* below sub-section (2) of section 288 of the Income-tax Act, 1961.

(d) Assets acquired in respect of development of scientific research and development facility shall not be disposed off without the approval of the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research" ;

(B) in Appendix II, after From 3CJ the following Forms shall be inserted, namely :-

" FORM NO. 3CK

Application form for entering into an agreement with the Department of Scientific and Industrial Research for cooperation in in-house Research and Development facility and for audit of the accounts maintained for that facility.

PART A

1 Name and Address of the registered office of the company including Telex/Fax/Phone numbers .

2 Permanent Account Number (PAN) of the company

3 Please specify the nature and Business/activity of the company- Manufacture/production of -

Drugs
Pharmaceuticals
Electronic Equipments
Computers
Telecommunications Equipments
Chemicals
Any other article or thing notified under sub-section (2AB) of section 35
(please specify)

4 Annual production of the eligible products of the company during the past three years-

5 Annual expenditure on scientific research of the company during the past three years, giving break-up of expenditure on land and buildings.

6 Please give details of the nature of existing in-house Research and Development facilities including the address of the in-house Research and Development facility.

7 Registration number, date and validity of recognition granted by Department of Scientific and Industrial Research to the in-house research and Development centre of the company.

Proposed objectives of scientific research contemplated by the company.

PART B

AGREEMENT

Whereas,..........................(hereinafter referred to as First Party) and the Department Of Scientific and Industrial Research (hereinafter referred to as Second Party), have decided to enter into an agreement, that -

(i) the First Party shall maintain an in-house Research and Development facility to be approved by the Second Party.

(ii) the above Research and Development facility shall be exclusively used by the First Party to carry out scientific research relating to manufacture or production of any drugs, pharmaceuticals, electronic equipments, computers, telecommunication equipments, chemicals or any other article or thing notified by the Central Board of Direct Taxes, under sub-section (2AB) of section 35.

(iii) the First Party shall provide full co-operation to the Second Party in carrying out the Research and Development work relating to manufacture or production of any drugs, pharmaceuticals, electronic equipments, computers, telecommunication equipments, chemicals or any other article or thing notified by the Central Board of Direct Taxes, under sub-section (2AB) of section 35.

(iv) the First Party shall maintain separate accounts for both revenue and capital expenditure on scientific research including that on in-house Research and Development facility, which shall be annually audited by an accountant as defined in section 288(2) of the Income-tax Act, 1961, and a copy of which has to be attached with the return of income under sub-section (1) of section 139 to claim deduction under section 35(2AB),

(v) subject to the First Party meeting the conditions specified under sub-section(2AB) of section 35, and on being satisfied of the feasibility of the said in-house Research and Development facility in terms of its objectives and of the genuineness of the expenditure on said Research and Development facility by the First Party, the Second Party shall submit its report in relation to the approval of the said facility to the Director General of Income-tax (Exemptions) within a period of sixty days from the date on which the First Party makes application in the Form No. 3CK.

Agreed on the ....day of ....month of.................year.

First Party

Signature of the Principal Officer of the company of the company

witness

----

signature

(Name and address)

Place..................

Date...................

Second Party

Signature of/on behalf of the Secretary, Department of Scienctific & Industrial Research

Place..................

Date...................

witness

----

signature

(Name and address)

Place..................

Date...................

PART C

Certified that the above information is true to the best of our knowledge and belief.

We undertake to:

(i) maintain separate accounts for both revenue and capital expenditure on scientific research including that on in-house Research and Development facility, which shall be annually audited by an accountant as defined in sub-section (2) of section 288 of the Income-tax Act, 1961, and a copy of which has to be attached with the return of income under sub-section (1) of section 139 to claim deduction under sub-section (2AB) of section 35;

(ii) submit annual progress reports to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research;

(iii) render full co-operation to the in carrying out the Research and Development work relating to manufacture or production of any drugs, pharmaceuticals, electronic equipments, computers, telecommunication equipments, chemicals or any other article or thing notified by the Central Board of Direct Taxes, under sub-section (2AB) of section 35; and

(iv) assets acquired by the approved facility will be utilised only for the approved purpose and shall not be disposed off without the approval of the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

Signature of the Principal Officer of the company
(Name, Designation and address)
Place.................
Date..................

Notes:

1. Six sets of duly filled applications are to be submitted to the Secretary, Department of Science & Industrial Research.
2. Copy of the latest Annual Report along with Balance Sheet has to be enclosed.
3. Enclose a copy of DSIR recognition of the in-house (R&D) centre

FORM No. 3CL

Report to be submitted by the prescribed authority to the Director General (Income-tax Exemptions) under section 35(2AB) of the Income-tax Act, 1961

1 Name and Address of the registered office of the company including Telex/Fax/Phone numbers

2 Permanent Account Number (PAN) of the company

Name and designation of the Principal Officer of the company

3 Nature and Business/activity of the company
Manufacture/production of -

Drugs
Pharmaceuticals
Electronic Equipments
Computers
Telecommunications Equipments
Chemicals
Any other article or thing notified under sub-section (2AB) of section 35.
(please specify)

4 Annual production of the eligible products of the company during the past three years-

5 Proposed objectives of scientific research contemplated by the company.

6 Whether the nature of the business is related to the proposed objectives of the scientific research contemplated by the company.

7 Details of the nature of existing in-house Research and Development facilities specifying whether the in-house Research and Development facility is adequate for carrying out scientific research.

8 Whether recognition granted to the in-house research and Development centre of the company by Department of Science and Industrial Research.

9 Total cost of in-house research facility, giving break-up of expenditure on land and buildings.(ASSESSMENT YEAR____)

10 Whether agreement for co-operation and Research and Development facility and for audit of the accounts maintained for that facility entered into.

Certified that the above information is true to the best of our knowledge and belief.

FORM NO. 3CM

Order of approval of in-house research and development facility under section 35(2AB) of the Income-tax Act, 1961

1 Name, Address and PAN of the company

Nature of the business of the company - Manufacture/production of article or thing

3 Objectives of the scientific research to be conducted by in-house Research and Development facility

4 Address at which such Research & Development facility is located

5 Ref. No. and Date of the application

The above Research & Development facility is approved for the purpose of section 35(2AB), subject to the conditions underlined therein.

Place.........

Date............

....

(Signature)

(Name)

Secretary, DSIR

(Seal)".

File No...........

Order No..........

Copy to:

(1) Company

(2) The Director General (Income-tax Exemption)

Deepa Krishan

(Deepa Krishan)

Director (TPL-I)

F.No.142/23/97-TPL

Notification No. 10564

Note :- *The principal rules were published vide notification number S.O.969 (E), dated 26-3-1962 and were last amended vide S.O.171(E) dated 6.3.1998.*

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 27-3-98 में प्रकाशनार्थ)

एफ० सं० 142/23/97-टीपीएल

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

नई दिल्ली, तारीख 27-मार्च, 1998

का०आ०.....(अ) केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पाँचवां) संशोधन नियम, 1998 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 1998 से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में,–

(अ) नियम 6 में,–

(क) उपनियम (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(1ख) धारा 35 की उपधारा (2कख) के प्रयोजन के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग विहित प्राधिकारी होगा ।";

(ख) उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(4) किसी कंपनी द्वारा धारा 35 की उपधारा (2कख) के अधीन अपेक्षित आवेदन प्ररूप सं० 3गट में होगा ।";

(ग) उपनियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(5क) ~~यदि~~ विहित प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2कख) और इस नियम में उपबंधित शर्तें पूरी कर दी गई हैं तो प्ररूप 3गठ में एक लिखित आदेश पारित करेगा :

परंतु यह कि किसी आवेदन को नामंजूर करने से पूर्व कंपनी को सुने जाने का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा :

अर्थात्:—

इन-हाउस

"(7क) किसी कंपनी द्वारा धारा 35 की उपधारा (2कख) के अधीन गृह अनुसंधान और विकास सुविधा पर उपगत व्यय का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्:—

(क) सुविधा विशुद्धतः बाजार अनुसंधान, विक्रय संवर्धन, क्वालिटी नियंत्रण, परीक्षण, वाणिज्यिक उत्पादन, अभिनाम परिवर्तन, नेमी आंकड़ों के संग्रहण या उसी प्रकृति के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं होनी चाहिए;

इन-हाउस

(ख) विहित प्राधिकारी, गृह अनुसंधान और विकास सुविधा के अनुमोदन की बाबत अपनी रिपोर्ट प्ररूप 3गठ में इसके अनुमोदन की मंजूरी दिए जाने के साठ दिन के भीतर, महानिदेशक (आय-कर छूट) को प्रस्तुत करेगा;

(ग) कंपनी, प्रत्येक अनुमोदित सुविधा के लिए एक पृथक लेखा रखेगी, जिसकी वार्षिक लेखा परीक्षा की जाएगी और उसकी एक प्रति, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव को प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष के 31 अक्तूबर तक प्रस्तुत की जाएगी;

स्पष्टीकरण:— इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "लेखापरीक्षित" पद से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखापाल द्वारा लेखाओं की लेखा परीक्षा अभिप्रेत है ।

(घ) वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास तथा विकास सुविधा की बाबत अर्जित की गई आस्तियों का निपटारा सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा";

(आ) परिशिष्ट-2 में, प्ररूप 3गञ के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"प्ररूप सं० 3गट

इन-हाउस

गृह अनुसंधान और विकास सुविधा तथा उस सुविधा के लिए रखे जाने वाले लेखाओं की लेखा परीक्षाओं के लिए सहयोग के संबंध में वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के साथ किए जाने वाले किसी करार के लिए आवेदन प्ररूप।

भाग अ

1. रजिस्ट्रीकृत कंपनी का नाम और पता, टेलेक्स/फैक्स/फोन सं० सहित

------- का विनिर्माण/उत्पादन-

औषधि

फार्मास्युटिकल्स

इलेक्ट्रानिक उपस्कर

कंप्यूटर

धारा 35 की उपधारा (2कख) के अधीन अधिसूचित कोई अन्य चीज या वस्तु (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

4. गत तीन वर्षों के दौरान कंपनी के पात्र उत्पादों का वार्षिक उत्पादन-

5. गत तीन वर्षों के दौरान कंपनी के वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में भूमि और भवनों पर हुए व्यय का विवरण देते हुए वार्षिक व्यय ।

6. कृपया विद्यमान ~~गृह~~ इन-हाउस अनुसंधान और विकास सुविधाएं जिसके अंतर्गत ~~गृह~~ इन-हाउस अनुसंधान और विकास सुविधा का पता भी है, की प्रकृति का विवरण दें।

7. कंपनी का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा कंपनी के ~~गृह~~ इन-हाउस अनुसंधान और विकास केंद्र को दी गई मान्यता की वैधता की तारीख ।

8. कंपनी द्वारा अनुध्यात वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रस्तावित उद्देश्य ।

भाग आ

करार

--------- (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विकास विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) ने निम्नलिखित करार करने का विनिश्चय किया है कि-

(i) प्रथम पक्षकार, दूसरे पक्षकार द्वारा अनुमोदित की जाने वाली कोई ~~गृह~~ इन-हाउस अनुसंधान और विकास सुविधा बनाए रखेगा,

(ii) उपर्युक्त अनुसंधान और विकास सुविधा का प्रथम पक्षकार द्वारा अनन्य रूप से किसी औषधि, फार्मास्यूटिकलस इलेक्ट्रानिक उपस्कर, कंप्यूटर, दूरसंचार [illegible]

(iii) प्रथम पक्षकार किसी आस्ति या फार्मास्युटिकल, इलेक्ट्रानिक उपस्कर, कंप्यूटर, दूरसंचार उपस्कर, रसायन या किसी अन्य चीज या वस्तु जो धारा 35 की उपधारा (2कख) के अधीन केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाए, के विनिर्माण या उत्पादन के संबंध में अनुसंधान और विकास किए जाने के लिए दूसरे पक्षकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा,

(iv) प्रथम पक्षकार वैज्ञानिक अनुसंधान जिसके अंतर्गत वह ~~गृह~~ इन-हाउस अनुसंधान और विकास सुविधा भी है के संबंध में राजस्व और पूंजी व्यय दोनों के लिए पृथक लेखा रखेगा जिनकी आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 288(2) में यथा परिभाषित किसी लेखापाल द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा की जाएगी और जिसकी एक प्रति धारा 35(2कख) के अधीन कटौती का दावा करने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी के साथ संलग्न की जाएगी,

(v) प्रथम पक्षकार, धारा 35 की उपधारा (2कख) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए और प्रथम पक्षकार उक्त अनुसंधान और विकास सुविधा पर उसके उद्देश्यों और व्ययों की वास्तविकता के निबंधनों में उक्त ~~गृह~~ इन-हाउस अनुसंधान और विकास सुविधा की साध्यता के समाधान हो जाने पर द्वितीय पक्षकार उक्त सुविधा के अनुमोदन के संबंध में महानिदेशक, आय-कर (छूट) को उस तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर जिसको प्रथम पक्षकार प्ररूप सं० 3गट में आवेदन करता है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

-------- दिन ----------महीने --------------वर्ष को करार किया गया।

प्रथम पक्षकार

कंपनी के प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर

(नाम, पदनाम और पता)

स्थान-------------

तारीख-------------

साक्षी

हस्ताक्षर

(नाम और पता)

द्वितीय पक्षकार

सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के/की ओर से हस्ताक्षर

स्थान-----------

तारीख-----------

साक्षी

हस्ताक्षर

(नाम और पता)

स्थान------------

तारीख------------

भाग ग

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त जानकारी हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है ।

हम :

(i) वैज्ञानिक अनुसंधान पर जिसमें इन-हाउस अनुसंधान और विकास सुविधा भी है पर राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों के लिए पृथक् लेखे रखने, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा प्रतिवर्ष संपरीक्षित किया जाएगा और जिसकी एक प्रति धारा 35 की उपधारा (2कख) के अधीन कटौती का दावा करने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी के साथ संलग्न किया जाना है,

(ii) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव को वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने ;

(iii) धारा 35 की उपधारा (2कख) के अधीन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिसूचित किन्हीं औषधियों, फार्मासिटिकल्स, इलेक्ट्रोनिक उपस्करों, कम्प्यूटरों, दूर संचार उपस्करों , रसायनों या कोई अन्य वस्तु या चीज़ के विनिर्माण या उत्पादन से संबंधित अनुसंधान और विकास संकर्म को क्रियान्वित करने के लिए पूर्ण सहयोग देने ;
का वचन देते है ; और

(iv) अनुमोदित सुविधा द्वारा अर्जित आस्तियों का उपयोग केवल अनुमोदित प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा और सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के अनुमोदन के बिना उनका निपटारा नहीं किया जाएगा ।

-- - - - - - - -

- - - - - - - -

कम्पनी के प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर
(नाम, पदाभिधान और पता)

स्थान ----------

तारीख - - - - - -

टिप्पणी :-

1. सम्यक् रूप से भरे गए आवेदन की छह प्रतियां सचिव, विज्ञान औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत की जाएं ।

2. तुलनपत्र के साथ नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट की प्रति संलग्न की जाए ।

3. इन हाउस (अ० स्व० वि०) सैन्टर की वि०औ०अ०वि० मान्यता की एक प्रति संलग्न की जाए ।

प्ररूप सं0 3गठ

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (2कख) के अधीन विहित प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा महानिदेशक (आय-कर छूट) को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट

1. कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का नाम और पता टेलैक्स।फैक्स। फोन नं0 सहित

2. कम्पनी का स्थायी लेखा संख्यांक (स्था0ले0सं0)
कम्पनी के प्रधान अधिकारी का नाम और पदाभिधान

3. कम्पनी के कारबार/क्रियाकलाप और स्वरूप
औषधियाँ
फार्मासिटिकल्स
इलेक्ट्रोनिक उपस्कर
कम्प्यूटर
दूरसंचार उपस्कर
रसायन

धारा 35 की उपधारा (2कख) के अधीन अधिसूचित कोई अन्य वस्तु या चीज का विनिर्माण और उत्पादन ।
(कृपया विनिर्दिष्ट कीजिए)

4. पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्पनी के पात्र उत्पादों का वार्षिक उत्पादन - अनुध्यात

5. कम्पनी द्वारा अनुसंधान वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रस्तावित उद्देश्य ।

6. क्या कारबार का स्वरूप कम्पनी द्वारा अनुध्यात वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रस्तावित उद्देश्यों से संबंधित है ।

7. विद्यमान इन हाउस अनुसंधान और विकास सुविधाओं के स्वरूप के ब्यौरे यह विनिर्दिष्ट करते हुए दीजिए कि क्या इन हाउस अनुसंधान और विकास सुविधा वैज्ञानिक अनुसंधान को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त है ।

8. क्या कम्पनी का इन हाउस अनुसंधान और विकास सेन्टर विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है ।

9. भूमि और भवनों पर व्यय के ब्यौरे देते हुए इन हाउस अनुसंधान सुविधा की कुल लागत ।

(निर्धारण वर्ष - - - - - - - - - -)

10. क्या सहयोग के लिए तथा अनुसंधान और विकास सुविधा और जो सुविधा दी गई है उसके लिए घोषित लेखाओं की संपरीक्षा के लिए करार है ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है ।

सचिव, वि0औ0अ0वि0 के हस्ताक्षर

स्थान -----

तारीख ----

प्ररूप सं0 3गह

आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन

इन हाउस अनुसंधान और विकास सुविधा के अनुमोदन का आदेश

1. कम्पनी का नाम, पता और स्था0ले0सं0

2. कम्पनी के कारबार का स्वरूप --
वस्तु या चीज़ का विनिर्माण/उत्पादन

3. इन हाउस अनुसंधान और विकास सुविधा द्वारा संचालित की जाने वाली वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य

4. पता जिस पर ऐसी अनुसंधान और विकास सुविधा अवस्थित है।

5. आवेदन की संदर्भ संख्या और तारीख उपरोक्त अनुसंधान और विकास सुविधा का धारा 35(2कख) के प्रयोजन के लिए उसमें रेखांकित शर्तों के अध्यधीन अनुमोदन किया जाता है।

स्थान ----------

तारीख ---------

\- - - - - - -

(हस्ताक्षर)

(नाम)

सचिव, वि0औ0अ0वि0

(मुद्रा)

फाइल सं0-----

आदेश सं0-------

प्रति :-

(1) कम्पनी

(2) महानिदेशक (आय-कर छूट)